

कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्वरेट, वाराणसी प्रेस-नोट

<u> दिनांक:-17.03.2025</u>

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त शकील को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 09 माह की सजा व कुल- 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 189/2017, धारा- 41, 411, 413 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शकील पुत्र रमजान निवासी- जे 16/66, नवापुरा थाना जैतपुरा वाराणसी को <u>थाना-जैतपुरा</u> पुलिस व <u>मॉनीटरिंग</u> सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 17.03.2025 को मा0 न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 411, 413 भादवि में अधिकतम 09 माह के साधारण कारावास व कुल-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अधिकतम 05 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त जोन-काशी कमिश्वरेट-वाराणसी